न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 196 / 2017 / 223 आर टी ए

1. तिलोकाराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. विद्यादेवी पत्नि लेखराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बृजलाल पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सन्तो पुत्री लेखराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. शारदा पुत्री लेखराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. निर्मला पुत्री लेखराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. तेजभान पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. कमला पुत्री लेखराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. सीता पुत्री लेखराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. चेतराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. भादरराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. साहबराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. धर्माराम पुत्र धोकलराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. मनफूल पुत्र धोंकलराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
14. देवीलाल पुत्र धोंकलराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
15. पारीदेवी पत्नि मनफूल जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।
17. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर विलय उपरांत एसबीआई शाखा नौरंगरदेसर।
18. गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मुण्डा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 122 / 06 अनवानी लेखराम बनाम मनफूल आदि

उपस्थित :–

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 16

निर्णय दिनांकः–06.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लेखराम व धर्माराम ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए प्रस्तुत किया कि चक 1 एमडब्ल्यू, चक 7 एनडीआर–बी व चक 7 एनडीआर–ए मे वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खातो मे वर्णित भूमि का खाता विभाजन कर उसी अनुसार रकमराज भी अलग से कायम किया जावे। प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाबदावा प्रस्तुत किया व जवाबदावा प्रस्तुत करने बाद वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी प्रस्तुत

करवाये। तद्पोरांत बहस सुन कर दिनांक 05.08.10 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। जिस पर प्रतिवादी तिलोकाराम द्वारा आपत्ति इस आशय प्रस्तुत की कि पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव मे प्रार्थी/प्रतिवादी तिलोकाराम का चक 1 एमडब्ल्यू प.न. 165/339 कि.न. 21 व 22 तथा चक 7 एनडीआर–बी प.न. 177/334 मु.न. 1 कि.न. 11 मे कब्जा दिखाया गया है जबकि प्रार्थी/अपीलांट का कब्जा काश्त उक्त किलो मे नही है। पटवारी हल्का द्वारा विभाजन प्रस्ताव गलत अंकित किया है। प्रार्थी/प्रतिवादी का कब्जा काश्त चक 7 एनडीआर–ए प.न. 168/340 कि.न. 1 ता 9, 10/0.228, 11/0.026, 12/0.180, 13 ता 16, 17/0.240, 18/0.104, 24/0.039, 25/0.190 व चक 1 एमडब्ल्यू के प.न. 166/340 कि.न. 14, 15, 17, 24/0.240 व चक 7 एनडीआर–बी प.न. 170/334 कि.न. 1 व 10 मे कब्जा काश्त है परन्तु विभाजन प्रस्ताव मे अंकित नही है। आपत्ति प्रस्तुत होने पर विभाजन पुनः मंगवाया गया जो दिनांक 19.05.17 को कैम्प कोर्ट मटोरियावाली ढाणी मे प्रस्तुत हुआ व उसी दिन विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री कतई आधारहीन व विधि विरूद्ध होने के कारण काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट मटोरियावाली ढाणी मे पारित किया गया है जिसमे किसी भी पक्षकार द्वारा कोई लिखित सहमति नही ली गई व ना ही कोई राजीनामा प्रस्तुत किया गया है जो राजस्व लोक अदालत के अभियान की भावना के विपरीत है। राजस्व लोकर अदालत के सभी पक्षकारो का आपस मे राजीनामा प्रस्तुत होने पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के अनुसार निर्णय पारित करने मे अहम कानूनी भूल की है। अदालत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2010 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिस पर अपीलांट की आपत्ति प्रस्तुत होने पर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया था पुनः विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.05.17 को कैम्प कोर्ट मटोरियावाली ढाणी मे प्रस्तुत किया था जिस बाबत अपीलांट को कोई सूचना नही थी तथा उसी दिन विभाजन प्रस्ताव पर बिना सुने ही विचारण न्यायालय ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री कर प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय द्वारा स्पष्ट तौर पर दिनांक 05.08.10 को आदेश किया गया है कि सभी पक्षकारो की उपस्थिति मे विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर नक्शा मौका संलग्न किया जावें। परन्तु तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन पटवारी हल्का ने बिना मौका पर जाकर व सभी

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

प्रभावित पक्षकारो को कोई सूचना दिये बिना ही तैयार कर माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 ता 21 की पूर्ण अवहेलना की है। जिस बाबत विचारण न्यायालय ने बिना मनन किये व पत्रावली मे दर्ज तथ्यों की अनदेखी करते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री पारित कर अहम विधिक भूल की है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम के नियम 18 ता 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका पर जाकर समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे तैयार किया जाना चाहिए तथा तद्नुसार विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित की जानी चाहिए थी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2016–17 पेज 711, आरआरडी 2017 पेज 473 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ता 7 के पूर्वज लेखराम व रेस्पो0 सं. 9 ता 12 चेतराम, भादरराम, साहबराम, धर्माराम ने विचारण न्यायालय मे वाद अनवानी लेखराम बनाम मनफूल अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश किया। उक्त वाद मे वादीगण ने पक्षकारो के मध्य घरू विभाजन होनना व उसी अनुसार विभाजन का अनुतोष चाहा था। अपीलांट तिलोकाराम व रेस्पो0 सं. 3 मनफूल ने अपना जवाब दावा मय कांउटर क्लेम पेश किया व दौराने वाद प्रतिवादी मनफूल ने राजीनामा पेश किया शेष प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति पेश नही की व वाद मे दोनो पक्षो की साक्ष्य लेकर दिनांक 05.08.10 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई व तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मे दिनांक 02.02.11 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर अपीलांट तिलोकाराम द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना मे जरिये इंतकाल सं. 312 दिनांक 08.06.17 चक 1 एमडब्ल्यू, इंतकाल सं. 422 दिनांक 08.06.17, चक 7 एनडीआर–बी, इंतकाल सं. 471 दिनांक 08.06.17 चक 7 एनडीआर–ए के राजस्व रिकार्ड मे पक्षकारो के नाम अंकन किया जा चुका है व इसी अनुसार पक्षकार काबिज है। अपीलांट द्वारा बिना किसी आधार के उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज होने योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लेखराम व धर्माराम ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए प्रस्तुत किया कि चक 1 एमडब्ल्यू, चक 7 एनडीआर–बी व चक 7 एनडीआर–ए मे वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खातो मे वर्णित भूमि का खाता विभाजन कर उसी अनुसार रकमराज भी अलग से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कायम किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया व जवाबदावा किया गया। वाद मे दिनांक 05.08.10 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। जिस पर अपीलांट तिलोकाराम द्वारा आपत्ति इस आशय प्रस्तुत की कि पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव मे तिलोकाराम का चक 1 एमडब्ल्यू प.न. 165/339 कि.न. 21 व 22 तथा चक 7 एनडीआर–बी प.न. 177/334 मु.न. 1 कि.न. 11 मे कब्जा दिखाया गया है जबकि अपीलांट का कब्जा काश्त उक्त किलो मे नही है। पटवारी हल्का द्वारा विभाजन प्रस्ताव गलत अंकित किया है। प्रार्थी/प्रतिवादी का कब्जा काश्त चक 7 एनडीआर–ए प.न. 168/340 कि.न. 1 ता 9, 10/0.228, 11/0.026, 12/0.180, 13 ता 16, 17/0.240, 18/0.104, 24/0.039, 25/0.190 व चक 1 एमडब्ल्यू के प.न. 166/340 कि.न. 14, 15, 17, 24/0.240 व चक 7 एनडीआर–बी प.न. 170/334 कि.न. 1 व 10 मे कब्जा काश्त है परन्तु विभाजन प्रस्ताव मे अंकित नही है। आपत्ति प्रस्तुत होने पर विभाजन पुनः मंगवाया गया जो दिनांक 19.05.17 को कैम्प कोर्ट मटोरियावाली ढाणी मे प्रस्तुत हुआ व उसी दिन विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की। जबकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व प्रस्तुत विभाजन बाबत अपीलांट को सूचना नही दी गई तथा ना ही उक्त विभाजन प्रस्ताव मे आपत्तियां प्रस्तुत करने बाबत कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही होने के करण अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर प्रकरण मे नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री

पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे तहसीलदार स्वयं मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें।उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.04.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official